

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर।

निर्देशानुसार A scheme for Legal Services to Disaster victim through legal Services Authority स्कीम के कंडिका - 5 के आलोक में आपदा प्रभावित पीडितों को विधिक सहायता पहुँचाने से संबंधित एक कोर कमिटी का गठन किया जाना है। जिसमें एक NGOs भी सदस्य होंगे।

अतः सूचित करते हुए कहना है कि जैसे NGOs जो स्वेच्छा से उपरोक्त स्कीम में सदस्य बनना चाहते हैं तो अधिसूचना की तिथि से पाँच दिनों के अन्दर इच्छापत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करें।


ह0/-  
(राजीव रंजन सहाय)  
सचिव  
जि0वि0से0प्रा0, समस्तीपुर।

कार्यालय जि0वि0से0प्रा0, समस्तीपुर।  
प्रतिलिपि अग्रसारित,

ज्ञापांक.....३३६.....दिनांक.....२१.११.१९

1. सिस्टम ऑफिसर, व्यवहार न्यायालय, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं व्यवहार न्यायालय के बैबसाइड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

2. N.D.C, समाहरणालय, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं समाहरणालय के सूचनापत्र पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

  
(राजीव रंजन सहाय)  
सचिव

जि0वि0से0प्रा0, समस्तीपुर।

3. सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं व्यवहार न्यायालय, समस्तीपुर के सूचनापत्र पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।